

अपसर रिजि जाकर पत्रावली रिजिंक 13/1/22 को पेश की जागानी पेश पर अनुपस्थिति की इशा में अडवॉकेट के विरुद्ध एकपक्षी कार्यवाही अमल में लार्ज जावेगी। पत्रावली रिजिंक 13/1/22 को पेश की तक तक T-1 की अपधि लार्ज जाती है।


13/1/22

कनील प्रवर्गित इधर अडवॉकेट 1 अनुपस्थिति की आठवित रिजिंक 16/1/22 के अनुक्रम में अडवॉकेट सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षी कार्यवाही अमल में लार्ज जाती है कनील प्रवर्गित रिजिंक कि कि उक्त में अडवॉकेट अनु. 1, कोई विरोध नहीं है दाता 0 प्रजालक परा जी T-1 की मूल पास किर्निक ठमरि किजा जावे। कदर कनील प्रवर्गित सुनी गनी पत्रावली का अवलोकन किजा प्रवर्गित द्वारा उस्तुत निरुपति मान्य रिजिंक का अवलोकन किजा। उस्तुत जमोकी पर 7 NP(A) सेरा 2061-2066 आता है 13 सेरा सेरा 2073-2076 आता है. 15 के अनुक्रम विवादित अडवॉकेट की कदर अडवॉकेट जाती

उपस्थित अधिकारी

होती है। वर्तमान विवाह अनुबंध विवाहित पुरुष
 को 1/5 हिस्से अंश देता है। के नाम से विवाह
 है। यदि पुरुष का कुल मूल्य का हस्तांतरण
 हो जाता है तो अंशों को अंशों में प्रति होने की
 संभावना है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष को प्राप्त होगा
 अंशों में प्रति होने का अंश अंशों के पत्र में है।
 प्रत्येक में अंशों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
 की जा सकती है। अतः प्रत्येक में
 कोई विरोध नहीं होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति
 को जाना उचित है।

अतः इस विवेक के आधार पर
 प्रत्येक पर स्वीकार किया जाता है तथा
 आज्ञा द्वारा प्रत्येक में प्रति अंशों
 विशेषज्ञा दिनांक 20/07/2022 को मूल
 पास में निर्दिष्ट तक बनाए रखने के आदेश
 दिए जाते हैं। आदेश सुनाया गया।
 पत्रावली के तहत में प्रत्येक को मूल
 पास के संलग्न है।


 उपखण्ड अधिकारी
 रामसिंहनगर